न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 109/2019

जयप्रकाश शर्मा पुत्र मोतीलाल शर्मा, हिन्दुस्तान टी कम्पनी, नानसा गेट, नवलगढ तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 22.07.2019

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक **21.06.2019** को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर **109/2019** पर दिनांक **24.06.2019** को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक **पाठक/2019/892—93** दिनांक **24.06.2019** द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ ने पत्रांक **रीडर/सू0अ0/18/114** दिनांक **04.07.2019** द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्राप्त होने पर आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुओं की सूचना अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक **विविध/19/1195** दिनांक **17.06.2019** द्वारा निर्धारित अवधि में ही उपलब्ध करवादी गई थी। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त होने पर आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुओं की सूचना अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक **विविध/19/1195** दिनांक **17.06.2019** द्वारा निर्धारित अवधि में ही उपलब्ध करवादी गई थी। अपीलार्थी को सूचना की बाबत सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक **22.07.2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुन
जिला कलेक्टर झुन्झुनू